न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3355 /विधि सहरसा, दिनांक 22-11-2023

प्रतिलिपिः- भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज, सुपौल को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा भूमि विवाद अपीलवाद सं0-20/2018 एवं 21/2018 में दिनांक-13.11.2023 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है साथ ही उनसे प्राप्त निम्न न्यायालय अभिलेख मूल में वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :- यथोपरि।

प्रतिलिपिः- विष्णुदेव सरदार, पिता-स्व0 तनुक सरदार/ कौशल्या देवी, पति-विष्णुदेव सरदार एवं बलदेव सरदार, पिता-जोगन सरदार, सा0+पो0-चरणे, वार्ड नं0-10, थाना-छतापुर, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

22/11/23

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद कौशल्या देवी, पति-विष्णुदेव सरदार एवं विष्णुदेव सरदार, पिता-तनुक सरदार सा0+पो0-चरणें, वार्ड नं0-07, थाना-छतापुर, जिला-सुपौल द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा-4 (1) अन्तर्गत न्यायालय सक्षम प्राधिकार-सह-भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज द्वारा दायर भूमि विवाद वाद सं0-05/2017-18 एवं 04/2017-18 कौशल्या देवी बनाम बलदेव सरदार एवं विष्णुदेव सरदार बनाम बलदेव सरदार में दिनांक 06.03.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध बलदेव सरदार, पे0-भोगन सरदार, सा0+पो0-चरणें, वार्ड नं0-10, थाना-छतापुर, जिला-सुपौल को प्रतिवादी बनाते हुए वाद दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :-

मौजा / थाना न0	खाता	खेसरा	रकवा	अभ्युक्ति
ग्वालपाड़ा अंचल-छतापुर	259 (पुराना)	2054, 2053, 2050 (पुराना)	70 डी0 यानि 0-17-3 धूर	चौहद्दी पूरब - निज विक्रेता व सचेन्द्र यादव प0 - विष्णुदेव सरदार उ0 - बुबु जी सरदार वो हीरालाल सरदार द0 - नाला

अनुसूची १४-फारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख नियमावली, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या-20/2018 एवं 21/2018

कौशल्या देवी.....अपीलकर्त्ता

एवं

विष्णुदेव सरदार..... अपीलकर्त्ता

-बनाम-

बलदेव सरदार.....रेसपॉण्डेन्ट

-:: आदेश ::-

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद कौशल्या देवी, पति-विष्णुदेव सरदार एवं विष्णुदेव सरदार, पिता-तनुक सरदार सा0+पो0-चरणें, वार्ड नं0-07, थाना-छातापुर, जिला-सुपौल द्वारा भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा-4 (1) अन्तर्गत न्यायालय सक्षम प्राधिकार-सह-भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज द्वारा दायर भूमि विवाद वाद सं0-05/2017-18 एवं 04/2017-18 कौशल्या देवी बनाम बलदेव सरदार एवं विष्णुदेव सरदार बनाम बलदेव सरदार में दिनांक 06.03.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध बलदेव सरदार, पे0-भोगन सरदार, सा0+पो0-चरणें, वार्ड नं0-10, थाना-छातापुर, जिला-सुपौल को प्रतिवादी बनाते हुए वाद दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :-

मौजा / थाना न0	खाता	खेसरा	रकवा	अभ्युक्ति
ग्वालपाड़ा अंचल-छतापुर	259 (पुराना)	2054, 2053, 2050 (पुराना)	70 डी0 यानि 0-17-3 थूर	चौहद्दी पूरब - निज विक्रेता व सचेन्द्र यादव प0 - विष्णुदेव सरदार उ0 - बुनु जी सरदार वो हीरालाल सरदार द0 - नाला

ग्वालपाड़ा अंचल–छातापुर	259 (पुराना)	2054 2055 (पुराना) 2058	83 डी0 यानि 0–1–0–0 बीघा	पूरब – मिथ विक्रेता प0 – नि विक्रेता व सिकेन्द्र साह उ0 – जवाहर सरदार वो उपेन्द्र सरदार वगैरह द0 – महेन्द्र नारायण सरदार, सत्यपाल सरदार, नाला

अपीलार्थी का मूल रूप से कहना है कि प्रश्नगत भूमि दिनांक 10.07.2015 ई0 को दस्तावेज सं0–3196 एवं दस्तावेज सं0–3265 दिनांक 15.07.2014 जमाबंदी सं0–3003 के माध्यम से जमाबंदी रैयत के पुत्र श्री गिरेन्द्र कुमार राय पे0–स्व0 फते बहादूर राय से खरीद किये हैं जिसपर जमाबंदी रैयत के पुत्र दखलकार थे एवं आवेदिका उपर वर्णित प्रश्नगत जमीन पर खरीदगी से लगातार दखलकार वो हकदार होकर फसल लगाकर भरण–पोषण करती आ रही है। दखल–कब्जा के आधार पर अंचल सिरिस्ता में विधिवत जाँच पड़ताल के पश्चात आवेदिका के नाम जमाबंदी नं0–3206 कायम होकर चलता आ रहा है प्रतिवादी द्वारा गाँव एवं बाहर के असामाजिक तत्वों से साँठगाँठ कर आवेदिका के खरीदगी शुदा प्रश्नगत कुल रकवा 0.71 डी0 यानि 0–17–3 धूर जमीन का फर्जी कागजात के आधार पर दिनांक 27.07.2017 को जबरन कब्जा कर लिया तत्पश्चात अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज के यहाँ आवेदक दिया गया जिनके द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज में वाद दाखिल किया, लेकिन सभी दस्तावेजों का बिना गहण छानबीन के मामला को स्वत्व निर्धारण (Title suit) बताकर इस न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर का बताते हुए खारिज कर दिया गया जिस कारण गरीब अपीलार्थी को न्याय नहीं मिल सका।

प्रविादी को कई बार नोटिस भेजा गया लेकिन वो न्यायालय में हाजिर नहीं हुए तब एक पक्षीय सुनवाई किया गया एवं निम्न न्यायालय में विपक्षी द्वारा दायर प्रत्युत्तर में कहा गया है कि यह मामला स्वत्व से संबंधित है जो इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। क्योंकि प्रश्नगत खाता, खेसरा की जमीन का कुल रकवा 26 बिगहा 6 कट्ठा 13 धूर है यह जमीन फतेबहादूर राय की अर्जित जमीन रही है। फतेबहादूर राय का भाई भानू प्रताप राय है। फतेबहादूर राय को दो पुत्र मिथिलेश राय वो गिरिन्द्र राय है। भानु प्रताप राय का एक पुत्र अरूण कुमार राय है। कुल जमीन 26–06–13 धूर में 13–3–6$\frac{1}{2}$ धूर अरूण राय के हिस्से वो दखल में तथा

13-3-6$\frac{1}{2}$ धूर मिथिलेश राय वो गिरिन्द्र राय के हिस्से वो दखल में आयाँ। अरूण राय, मिथिलेश राय, गिरिन्द्र राय स्थायी निवासी कुसौधी, थाना-मीरगंज, जिला-गोपालगंज के है। अरूण कुमार राय अपने हिस्से की 13-3-6$\frac{1}{2}$ धूर बलदेव सरदार (प्रतिवादी) के नाम पावर ऑफ ऍटानी बना दिया तथा जमीन का देख-रेख वो बिक्री करने का अधिकार दे दिया। उक्त पावर ऑफ एटानी के जरिये बलदेव सरदार विभिन्न लोगों के हाथ जमीन बिक्री किया। प्रतिवादी का आगे का कहना है कि मिथिलेश राय अपने हिस्से की जमीन रकवा 6-11-13-5 धूरकी जमीन में से 4 बीघा का पावर ऑफ एटानी हरिहर यादव सम्पूर्ण 4 बीघा जमीन की बिक्री कर दिया है। क्रेता जमीन पर हँकदार है। इसी प्रकार मिथिलेश राय बलदेव सरदार को दो बिगहा जमीन बेचने का पावर ऑफ एटानी बना दिया। उक्त पावर ऑफ एटानी होल्डर बलदेव सरदार के द्वारा चन्देश्वरी यादव, सुमित्रा देवी, आशा देवी, रूनिया देवी, देव नारायण सरदार, नीलम देवी, नंद लाल सरदार, फूलेश्वर सरदार, मंगली देवी, शिव ना0 सरदार, सुनिता देवी, रमेश सरदार, महेश्वरी सरदार, विद्यानन्द सरदार, सतीश सरदार, लक्ष्मी सरदार, शांति देवी, राजेश सरदार, शकुंतला देवी, दिलीप सरदार, दिलेन सरदाद, सुदामा देवी, भूपेन्द्र सरदार, दिलेन सरदार, केवल सरदार, शैलेन्द्र सरदार, प्रमोद सरदार, हेमन्त सरदार, बालकृष्ण सरदार एवं अर्चना देवी को विभिन्न तिथियों में विभिन्न केवालाओं के जरिये जमीन हस्तांतरित किए, जिनके नाम जमाबंदी नं0-3011, 2723, 2721,2717, 2645, 2646,2657, 2644, 2718, 2713, 2638, 2633,2640, 2641, 2656,2643, 2642, 2714, 274, 2639, 2710 आदि चल रही है। प्रतिवादी का आगे कहना है कि अरूण कुमार राय के पावर ऑफ एटानी होल्डर एवं अन्य के द्वारा जमीन की बिक्री समय व समय पर करते गए एक धूर जमीन भी नहीं बची रही। आवेदिका अपनी दबंगता के बल पर बिना सरजमीन पर जमीन बचे जमीन चोरी छिपे खरीद कर अपने नाम जमाबंदी कायम करवा लिया, तब झूठा मुकदमा दायर कर दी। आवेदिका गिरिन्द्र राय से जमीन खरीद किया, परन्तु गिरिन्द्र राय को यह जमीन किस प्रकार हासिल है, कितनी जमीन बची है, इसका विवरण दर्ज नहीं है। आवेदिका द्वारा दिया गया वंशवृक्ष अधूरा है। आवेदिका कभी जमीन पर दखलकार नहीं हुई जमीन आवेदिका के कब्जा में कभी आया न वर्तमान में कब्जा में है। आवेदिका अंचल अमला से मिलीभगत कर अपनी दबंगता के बल पर दाखिल खारिज करवा लिया। वाद पत्र कंडिका-6 में बेदखल करने की बात गलत है।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत उपर्युक्त तथ्यों, उनके द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी एवं मूल जमीन मालिक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को जमीन हस्तांतरित की गई है, जिसके आधार पर कई जमाबंदी संधारित हो चुकी है। उक्त हस्तांतरित केवालाओं एवं पावर ऑफ एटर्नी की वैधता का प्रश्न पैदा होता है, जिसके संबंध में प्रस्तुत वाद का विचारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। चूंकि स्वत्व न्याय-निर्णित करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका/अभिलेख संबंधित कार्यालय को वापस करें।

12/11

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

12/11/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।